

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 246]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 5 मई 2011—वैशाख 15, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 मई 2011

क्र. एफ. ए-3-5-2010-1-पांच-(46).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, श्री एन. के. जैन, तत्कालीन संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, खण्डवा संभाग को संभागीय उपायुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से, अपीली प्राधिकारी नियुक्त करती है और खण्डवा संभाग में उक्त अधिनियम की धारा 46 के अधीन उद्भूत होने वाले अपील प्रकरणों के निपटारे की शक्तियां प्रदत्त करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 मई 2011

क्र. एफ. ए-3-5-2010-1-पांच-(46).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए-3-5-2010-1-पांच-(46) दिनांक 5 मई, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 5th May 2011

F. No. A-3-5-2010-1-V- (46).—In exercise of the powers conferred by Section 3-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, appoints Shri N. K. Jain, the then Divisional Deputy Commissioner, Commercial Tax Khandwa Division as Appellate Authority, from the date of assuming charge as Divisional Deputy Commissioner and confer powers to dispose off the appeal cases arising under section 46 of the Act in Khandwa Division.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R.K. YADAV, Addl. Secy.